प्रेस नोट

थाना नवाबाद, झांसी

दिनाँकः 27.03.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही.**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा फर्जी वसीयतनामा तैयार कराकर सम्पत्ति का लाभ लेने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के कुशल निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल पर्यवेक्षण व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण एवं घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 27.03.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 390/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)a/351(3) BNS में वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह यादव पुत्र हरप्रसाद यादव निवासी ग्राम भिटौरा थाना सकरार जिला झांसी उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- उल्लेखनीय है दिनाँक 11.10.2025 को आवेदक नेविल रानी डिक उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र रागी जहांगीर डिक निवासी 6 डी0 401 सालसेट पारसी कालोनी पम्प हाउस अंधेरी ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400093 द्वारा दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बावत अभि0गण द्वारा षणयंत्र करते हुये कूटरचना कर जालसाजी के तहत धोखाधड़ी कर वादी के मौसा की फर्जी वसीयतनामा तैयार करते हुये प्रार्थी के मौसा की मृत्यु के बाद अनुचित लाभ लेने का प्रयास करना व अज्ञात अभि0गण द्वारा वादी की मौसी के घर पर आकर धमकी देने के सम्बन्ध में अभि0गण 1.राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री सियाराम यादव निवासी ग्राम मकरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगड म0प्र0 (वर्तमान में जिला निवाड़ी बन चुका है) 2.राघवेन्द्र सिंह पुत्र हरप्रसाद यादव निवासी ग्राम बारेह जिला झांसी 3.मलखान सिंह पुत्र बृजभान सिंह निवासी ग्राम बारेह जिला झांसी 4.खालिद हुसैन पुत्र इम्तियाज हुसैन निवासी 271 बंगलाघाट तहसील व जिला झांसी। 5.राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र नामालूम, डीडराईटर जिला निवाड़ी म0प्र0। 6.दो व्यक्ति अज्ञात नाम व पता नामालूम के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अ0सं0 390/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)a/351(3) BNS पंजीकृत किया गया उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण की तलाश थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी, तलाश के क्रम में अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह यादव पुत्र हरप्रसाद यादव निवासी ग्राम भिटौरा थाना सकरार जिला झांसी उम्र करीब 50 वर्ष को उसके निवास स्थान

(घर) के सामने से सकुशल गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>अभियुक्त का विवरणः-</u> राघवेन्द्र सिंह यादव पुत्र हरप्रसाद यादव निवासी ग्राम भिटौरा थाना सकरार जिला झांसी उम्र करीब 50 वर्ष

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –</u>

1.मु0अ0सं0 390/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)a/351(3) BNS थाना नवाबाद जनपद झांसी

2.मु0अ0सं0 81/25 धारा 115(2)/126(2)/191(2)/324(4)/352 BNS थाना सकरार जिला झांसी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.उ0नि0 श्री मोहित कुमार चौकी प्रभारी जेल थाना नवाबाद झांसी

2. उ0नि0 श्री रामकरन थाना नवाबाद जनपद झांसी

3. का0 88 राहुल यादव थाना नवाबाद जनपद झांसी